



2026:AHC:27953

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 237/2026

मोइन उद्दीन एवं 8 अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेश कुमार सिंह, विनोद कुमार भारतीय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अंबुज श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता,

पंकज कुमार श्रीवास्तव, सुरेश सिंह

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बबबन सिंह, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री अंबुज श्रीवास्तव और प्रतिवादी संख्या 5 (नगर पालिका परिषद) के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश सिंह को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

"(I). एक रिट, आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जारी किया जाए जो प्रतिवादी राजस्व परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण संख्या 3913/2025 (हुबलाल एवं अन्य बनाम मोहम्मद निजामुद्दीन एवं अन्य) में पारित विवादित आदेश दिनांक 06.11.2025 को केवल उस सोमा तक रद्द करे जहाँ इसके द्वारा प्रतिवादी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2025 के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई है।

(II). एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जो पक्षों को निर्देशित करे कि वे प्रतिवादी सहायक समाहर्ता के समक्ष लंबित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 229-बी (नई संगत धारा 144, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006) के तहत कार्यवाही के दौरान यथास्थिति बनाए रखें, जिसे प्रतिवादी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2025 के तहत संपन्न किया जाना है (याचिका का संलग्नक संख्या-6)।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत वाद को विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था, लेकिन अपील में, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया गया है और मामले को विचारण न्यायालय के पास प्रतिप्रेषण पर वापस भेज दिया गया है ताकि पक्षों को सुनवाई का अवसर देने और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद वाद को नए सिरे से तय किया जा सके। उन्होंने निवेदन किया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है और अंतरिम आदेश मनमाने ढंग से प्रदान किया गया है, अतः पुनरीक्षण में अंतरिम

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संरक्षण प्रदान करने वाले आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और राजस्व परिषद को पुनरीक्षण को नए सिरे से तय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले को विचारण न्यायालय को वापस भेजते समय दर्ज किए गए निष्कर्षों को प्रस्तुत किया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि अपील में विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को सही ढंग से निरस्त किया गया था।

4. दूसरी ओर, निजी प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पुनरीक्षण में राजस्व परिषद द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने निवेदन किया कि पुनरीक्षण में अंतरिम संरक्षण प्रदान करते समय विवादित आदेश के तहत कारण बताए गए हैं। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए मामले को विचारण न्यायालय को वापस भेजा है जो विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसलिए पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश अत्यंत आवश्यक है अन्यथा पुनरीक्षण निष्प्रभावी हो जाएगा।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के तहत वाद को विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया था, लेकिन अपील में, विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री को निरस्त कर दिया गया है और मामला विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया गया है। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया है और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है।

7. इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नए सिरे से अधिनिर्णय के लिए मामले को विचारण न्यायालय को वापस भेजा है, जिसे पुनरीक्षण के माध्यम से राजस्व परिषद के समक्ष चुनौती दी गई है, ऐसी स्थिति में राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान करने में कोई अवैधता नहीं है।

8. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका को अंततः निस्तारित किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व परिषद को निर्देशित किया जाता है कि वह निजी प्रतिवादी संख्या 6 से 8 द्वारा दायर उक्त पुनरीक्षण को शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णीत करें।

09 फरवरी, 2026

पी.एस.

(माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"